

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2022—आषाढ़ 10, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2022

क्र. एफ 2-2/2022-61-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-02 मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएँ प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं –

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
2.36	मुख्यमंत्री जन कल्याण (सम्बल 2.0) योजना के अंतर्गत पंजीयन	1. ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत 2. नगरीय निकाय हेतु आयुक्त, (नगर पालिका निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत) होंगे	07 कार्य दिवस	(अ) ग्रामीण क्षेत्र – संबंधित क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (ब) (i) शहरी क्षेत्र – नगर पालिक निगम हेतु कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/ डिप्टी कलेक्टर (ii) नगर पालिका/ नगर पंचायत हेतु, उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होगा	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

2.37	मुख्यमंत्री जन कल्याण (सम्बल 2.0) योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता स्वीकृति	1. ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत 2. नगरीय निकाय हेतु आयुक्त, (नगर पालिका निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत) होंगे	07 कार्य दिवस	(अ) ग्रामीण क्षेत्र – संबंधित क्षेत्र का अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी (ब) (i) शहरी क्षेत्र – नगर पालिक निगम हेतु कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/ डिप्टी कलेक्टर (ii) नगर पालिका/ नगर पंचायत हेतु उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होगा	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.38	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 सहपठित म. प्र. अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 1981 के नियम 13 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति में संशोधन किया जाना।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	03 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.39	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 सहपठित म. प्र. अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 1981 के नियम 6 के अंतर्गत पंजीयन में संशोधन किया जाना।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	03 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त

2.40	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनिमयन) अधिनियम, 1996 सहपठित म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनिमयन) नियम, 2002 के नियम 25 के अंतर्गत पंजीयन में संशोधन किया जाना	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	03 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.41	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 सहपठित म. प्र. मोटर परिवहन कर्मकार नियम, 1963 के नियम 7 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन किया जाना	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	03 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
2.42	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6.7 सहपठित मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के नियम 9 के अंतर्गत कारखानों की अनुज्ञप्ति का संशोधन किया जाना।	प्राधिकृत मुख्य/ अतिरिक्त मुख्य/ संयुक्त मुख्य/ उप मुख्य कारखाना निरीक्षक म. प्र. इन्दौर (संचालनालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा)	07 कार्य दिवस	श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम विभाग, म.प्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2022

क्र. एफ 2-08-2022-लोसेप्र-पी.एस.जी.- 05. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद द्वारा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सेवाएं -**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
5.42	नगरीय क्षेत्रों में सम्पत्ति का नामान्तरण के सम्बन्ध में	1.नगर पालिका/ नगर परिषद क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी 2. नगर पालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त , अथवा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	45 दिवस	जिला कलेक्टर	30 दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
5.43	नगरीय क्षेत्रों में सम्पत्तियों के स्व-निर्धारण के संबंध में	1.नगर पालिका/ नगर परिषद क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी 2. नगर पालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त , अथवा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	30 दिवस	जिला कलेक्टर	15 दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2022

क्र. एफ 2-14-22-लोसेप्र-पी.एस.जी.- 11. — मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, गृह विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम,2010 की धारा 3 के तहत गृह विभाग की सेवाएं -

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
11.52	अशासकीय सेवा के प्रयोजन हेतु चरित्र सत्यापन (यदि व्यक्ति विगत 05 वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक से अधिक थानाक्षेत्र में निवासरत रहा हो)	उप पुलिस अधीक्षक (जिला विशेष शाखा) / जिला विशेष शाखा प्रभारी	45 कार्य दिवस	जिला पुलिस अधीक्षक	15 कार्य दिवस	पुलिस उप महानिरीक्षक, रैंज
11.53	किसी एक समय में 15 कि.ग्राम से अनधिक आतिशबाजी या गन पाउडर के विनिर्माण संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण।	जिला दण्डाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.